उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-46/2021/462प्र0स0/92-2-21-50जॉच/2017

लखनऊ:: दिनांक 29 नवम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ में वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कराये गये निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 06-06-2019 में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1624/9252-2019-50जॉच/2017 दिनांक 23.07.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जॉच आख्या दिनांक 03-02-2020 तथा तत्क्रम में श्री चन्द्रवीर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दि0 09-06-2020 के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-32/ 2021/2431/92-2-21-50जॉच/2017 दिनांक 30-07-2021 द्वारा श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ को परिनिन्दा का दण्ड प्रदान करते हुये उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया गया।

2- श्री चन्द्रवीर ने उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.07.2021 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध शासन में अपना प्रत्यावेदन दिनांक 08-10-2021 प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि "ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-मेरठ में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान कराये गये निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच आख्या के बाद जॉच अधिकारी ने शासनादेश दिनांक 14.07.2009 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति को सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत पाते हुये उन्हें उत्तरदायी नही पाया है तथा उक्त शासनादेश दिनांक 14.07.2009 में शासकीय क्षति सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत पाये जाने पर सामान्यत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नही किये जाने की व्यवस्था है।"

उल्लेखनीय है कि श्री चन्द्रवीर के विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.07.2019 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री चन्द्रवीर को प्रखण्ड-मेरठ में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान कराये गये निर्माण कार्यो में पर्यवेक्षणीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने एवं शासन द्वारा प्रतिपादित नियमों का उल्लंघन तथा मनमाने कार्य प्रणाली हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/ 2021/2431/92-2-21-50जॉच/2017 दिनांक 30-07-2021 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड प्रदान किया गया है जबकि श्री चन्द्रवीर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में शासनादेश दिनांक 14.07.2009 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत शासकीय क्षति होने के आधार पर परिनिन्दा दण्ड को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है लेकिन उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 08.10.2021 के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री चन्द्रवीर द्वारा अपने प्रत्यावेदन में कोई ऐसा नवीन तथ्य/आधार प्रस्तुत नहीं किा गया जिसके आधार पर "परिनिन्दा" का दण्ड समाप्त किया जा सकें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-प्रतापगढ के प्रत्यावेदन दिनांक 08.10.2021 पर सम्यक विचारोपरान्त बलहीनता के आधार पर प्रत्यावेदन निरस्त करते हुये एतदद्वारा निस्तारित किया जाता है।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 46/2021/462प्र0स0(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री चन्द्रवीर, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया आदेश श्री चन्द्रवीर सहायक अभियंता प्रखण्ड-प्रतापगढ को प्राप्त कराकर पावती रसीद 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री चन्द्रवीर, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।